राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 782/2024

डॉ. संजय भारद्वाज **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर (राज.)।
2. आयुक्त, कॉलेज शिक्षा विभाग, आयुक्तालय, जयपुर (राज.)।
3. संयुक्त निदेशक, कॉलेज शिक्षा विभाग, आयुक्तालय, जयपुर (राज.)।
4. प्रधानाचार्य, राजकीय कॉलेज, परबतसर, नागौर (राज.)।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 26.02.2024
आदेश की दिनांक : 20.03.2024

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री हीरालाल गोठवाल, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त धारीवाल, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने संशोधित अपील प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिस पर बहस सुनी गई एवं शामिल मिसल कर रिकार्ड पर लिया गया।

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए यह तर्क दिया है कि अपीलार्थी वर्तमान में स्कूल व्याख्याता राजनीति विज्ञान के पद

पर राजस्थान कॉलेज/कार्यालय, परबतसर, नागौर में कार्यरत है। आलोच्य आदेश दिनांक 20.02.2024 के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से राडावास किया गया है। उनका कथन है कि अपीलार्थी को कार्यव्यवस्थार्थ हेतु स्थानान्तरण किया गया है। जबकि अपीलार्थी के स्थान पर किसी अन्य कार्मिक को पदस्थापित नहीं किया गया है। ऐसे पदस्थापनों को माननीय उच्च न्यायालय ने भी अनुचित माना है। अपीलार्थी को आदेश दिनांक 27.09.2022 के द्वारा वर्तमान पदस्थापन स्थान पर पदस्थापित किया गया था और मात्र डेढ वर्ष की अल्पावधि में उसे कार्यव्यवस्थार्थ के रूप में राडावास पदस्थापित किया गया है, जो नियम एवं नीति के विपरीत है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 20.02.2024 को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जावे और अपीलार्थी को यथा स्थान कार्य करने के निर्देश दिये जावें।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुये यह प्रतिवाद किया है कि अपीलार्थी के संबंध में जारी किये गये स्थानान्तरण आदेश सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया है। किसी भी कार्मिक/अधिकारी को एक ही स्थान पर पदस्थापित रहने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। यह नियोक्ता का अधिकार है कि जनहित में किस कार्मिक की सेवायें किस स्थान पर ली जानी है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

हमनें उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली में उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग के अधीन स्कूल व्याख्याता राजनीति विज्ञान के पद पर राजस्थान कॉलेज/कार्यालय, परबतसर, नागौर में कार्यरत है। आलोच्य आदेश दिनांक 20.02.2024 के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से राडावास किया गया है। अपीलार्थी को कार्यव्यवस्थार्थ हेतु स्थानान्तरण किया गया है। जहां तक अपीलार्थी का स्थानान्तरण किये जाने का प्रश्न है, आलोच्य आदेश के अनुसार अपीलार्थी को कार्यव्यवस्थार्थ हेतु पदस्थापित किया गया है और प्रशासनिक एवं छात्रहित दृष्टि को ध्यान में रखते हुये यह नियोक्ता का अधिकार है। अपीलार्थी लम्बे समय से एक ही पद पर कार्यरत है और प्रशासनिक आधार पर अपीलार्थी का स्थानान्तरण किया गया है। किसी भी कार्मिक को एक ही स्थान पर पदस्थापित

रहने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। प्रशासनिक आवश्यकताओं एवं छात्रहित में कार्मिक की सेवाएं किस स्थान पर ली जानी है, इसके निर्णय का अधिकार प्रत्यर्थी विभाग को है। सेवाविधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि स्थानान्तरण सेवा का एक अभिन्न तत्व होता है। स्थानान्तरण करना नियोक्ता का अधिकार है और अपीलार्थी का स्थानान्तरण सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया है, इस कारण स्थानान्तरण आदेश में हस्तक्षेप करना उचित नहीं है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने **शिल्पी बोस बनाम बिहार राज्य** (**ए.आई.आर. 1991 एस.सी. 532**) के प्रकरण में राजकीय कार्मिकों के स्थानान्तरण के विषय में निम्न प्रकार अवधारित किया है :–

> *"In our opinion, the Courts should not interfere with transfer orders which are made in public interest and for administrative reasons unless the transfer orders are made in violation of any mandatory statutory rule or on the ground of malafide. A Government servant holding a transferable post has no vested right to remain posted at one place or the other, he is liable to be transferred from one place to the other. Transfer orders issued by the competent authority do not violate any of his legal rights."*

अतः अपीलार्थी के उक्त तर्कों में कोई बल प्रकट न होने के कारण अपील खारिज फरमाए जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के एतद्द्वारा खारिज की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य